(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना 35/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2021

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दी गई शर्तें पूरी होती हों, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2923 20 90	डीएमपीसी (1,2-डिमिरिस्टॉयल-एसएन-ग्लिसरो-3-फॉस्फोकोलाइन)।
2. .	2923 20 90	डीएमपीजी (1,2-डिमिरिस्टॉयल-एसएन-ग्लिसरो-3-फॉस्फो-रैक-ग्लिसरॉल, सोडियम नमक)।
3.	2923 20 90	एचएसपीसी (सोयाबीन से हाइड्रोजनीकृत फॉस्फेटिडिलकोलाइन)।
4.	2923 20 90	डीएसपीजी (1,2-डिस्टियरॉयल-एसएन-ग्लिसरो-3-फॉस्फो-रैक-ग्लिसरॉल, सोडियम नमक)।
5.	2923 20 90	ऐग लेसिथिन।
6.	2906 13 10	कोलेस्ट्रॉल एच.पी. ।
7.	कोई भी अध्याय	कोविड परीक्षण किट के निर्माण के लिए कच्चा माल।

बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात -

(क) उक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं पर 31 अगस्त, 2021 के बाद लागू नहीं होगी;

(ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या 7 के समक्ष उल्लिखित वस्तु पर दिनांक 30 सितंबर, 2021 के बाद लागू नहीं होगी ।

अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त
1.	बशर्ते कि आयातकर्ता सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता हो ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/28/2021-टीओ(टीआरयू-।)-सीबीआईसी]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार